न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 106 / 24 दायर दिनांकः 19.07.2024
जीसीएमएस नं. 2024 / 266

उनवान

1 रामशरण पुत्र मिश्रीसिंह जाति जाट नि. पथैना तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––वादी

बनाम

1 बच्चूसिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति जाट नि. पथैना तह. भुसावर जिला भरतपुर 2 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–
1 श्री छोटेलाल मीना ––वादी

एवं

प्रकरण संख्याः 18 / 25 दायर दिनांकः 21.02.2025
जीसीएमएस नं. 2025 / 52

उनवान

1 बच्चूसिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति जाट नि. पथैना तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––वादी

बनाम

1 रामशरण पुत्र मिश्रीसिंह 2 मंजूदेवी पत्नि मुंशीराम जातियान जाट नि. पथैना तह. भुसावर जिला भरतपुर 3 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–
1 श्री सुरेन्द्र चौधरी ––वादी
2 श्री छोटेलाल मीना ––प्रति.सं. 1
3 श्री राजेश कुमार पाण्डेय ––प्रति.सं. 2

निर्णय दिनांक 29.05.2026

वादी द्वारा जरिये वकील दावा उनवानी रामशरण बनाम बच्चूसिंह वगै. प्रकरण संख्या 106 / 24 व दूसरा दावा बच्चूसिंह बनाम रामशरण वगै. प्रकरण संख्या 18 / 25 अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. में विचाराधीन चल रहे है। उक्त दोनों दावों की विषयवस्तु व विधि का प्रश्न समान होने के कारण दावा संख्या 18 / 25 को दावा संख्या 106 / 24 में कन्सोलीडेट किये जाने के कारण प्रारम्भिक डिक्री निम्नानुसार की जाती है–

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

उक्त दावों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 2387 रकबा 0.27 हैक्टे. व आ.ख.नं. 2393 रकबा 0.14, 3476 रकबा 0.50 किता 2 कुल रकबा 0.64 हैक्टे. वाके ग्राम पथैना तह. भुसावर मे स्थित है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075 लगायत 2078 में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज काश्तकार एवं खातेदार है तथा इसी प्रकार से राज्य सरकार को राज लगान अदा करते चले आ रहे है।

उक्त वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त काश्तकारी की अविभाजित आराजी है, जिसका विभाजन अभी तक वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी रूप से बाई मीटस एण्ड बाउण्ड नही हुआ है। परन्तु मौके पर आराजी को अपने अपने हिस्से अनुसार मनवट के आधार पर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादी संख्या एक बहुत ही चतुर एवं चालाक किस्म का व्यक्ति है, जो वादी को उसके निहित हिस्से की आराजी का पूरा पूरा लाभ प्राप्त नहीं होने देता है और अच्छी-2 व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर बिना विभाजन कराये ही अपना पुख्ता निर्माण कर एव आराजी को दीगर व्यक्तियों के लिये रहन, वय व मुन्तकिल करते हुए वादी को उसके निहित हिस्से की अच्छी व मौके की आराजी से बेदखल कर महरूम करना चाहता है। जबकि प्रतिवादी संख्या एक को वादग्रस्त आराजी में से अच्छी व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर पुख्ता निर्माण करने व आराजी को दीगर व्यक्तियों के लिये रहन, वय व मुन्तकिल करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

दिनांक 02.07.2024 को वादी ने प्रतिवादी संख्या एक से आराजी का कानूनी विभाजन कराने के लिए कहा, तो प्रतिवादी ने विभाजन से इंकारी करते हुए धमकी दी कि मैं तो अच्छी-2 व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर अपना पुख्ता निर्माण करूंगा व आराजी को बिना विभाजन कराये ही दीगर व्यक्तियों के लिये रहन, वय व मुन्तकिल करके तुझे तेरे हिस्से की अच्छी व मौके की आराजी से बेदखल कर महरूम कर दूंगा और तुझे तेरे हिस्से की आराजी का उपयोग व उपभोग नहीं करने दूंगा। अतः वादी वादग्रस्त आराजी का कानूनी विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड करा पाने का अधिकारी है।

वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आराजी का कानूनी विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। बाद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। उन्होंने विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु सहमति जताई गई।

अतः उनकी सहमति के आधार पर दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, भुसावर को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपने पत्रांक/एल.आर. /2026/2322 दिनांक 25.05.2026 द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा विभाजन प्रस्ताव का भली भांति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादी डिक्री किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के पत्रांक/एल.आर./2026/2322 दिनांक 25.05.2026 अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०